

वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सं 8-3(8)/2017-सामान्य

दिनांक: 04.09.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर के कर्मचारियों के लिए अधिकृत चिकित्सा सहायक(एमए) की नियुक्ति

सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर ने अधिकृत चिकित्सा सहायक के रूप में निम्नवत डाक्टरों की नियुक्ति को निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधन पर अनुमोदन प्रदान किया है:-

SI No	Area	Name of Employee	Name and Address of Doctor(AMA)
1	Gurgaon	Sh Rahul Bhatnagar, Sr Secretariate Assistant	Dr. R.S. Yadav, MBBS H.No.772, Sec 17-A, Gurgaon
2	Ballabgarh Faridabad	Sh Umesh Gupta, Section Officer	Dr.P.K.Mittal, M.B.B.S. H No 164, Ward No 5, Brahman Wara, Ballabgarh, Faridabad, Haryana
3	Hapur Ghaziabad	Sh Gopal Singh, Electrician	Dr. Parag Sharma, MBBS & MD, 30, Indralok Colony, Street No.2, Hapur-245101, Ghaziabad, UP
4	NIT Faridabad	Sh. Chander Pal Singh JSA	Dr. Om Prakash Rakesh, MBBS, 1-E/22, NIT, Markrt No., Faridabad 121001 Haryana
5	Loni Ghaziabad	Sh Balbir Singh, Work MTS	Dr Pradeep Mitta, B-3/98, Paschim Vihar, N Delhi-110063
6	Ballabgarh, Faridabad	Sh Rajnish, MTS	Dr Narender Ghai, MBBS H NO 29/30, Sec-9, Faridabad
7	Sonipat	1. Sh S R Alam, SO 2. Sh Shribhagwan, Sr. Tech. II(4)	Dr. Madan Singh Chauhan, MBBS, MS Kath Mandi, Nr Old Court, Sonipat

ऊपरलिखित अधिकृत चिकित्सा सहायक के कार्यकाल का विस्तार दिनांक 01.07.18 से एक वर्ष के लिए दिनांक 30.06.19 तक वैध है और यह विस्तार निम्नवत शर्तों व निबंधन के अधीन है:

1. कि वे सीएस(एमए) नियमावली, 1944 के तहत निर्धारित दरों पर परामर्श(consultation) एवं इंजेक्शन शुल्क वसूल करेंगे |
2. कि वे समय समय पर केंद्रीय सेवा (एम) नियमावली-1944 के तहत नियमों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे|
3. उनका नामांकन उन्हें बिना कोई कारण बताए अथवा बिना उन्हें कोई नोटिस दिए उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले समाप्त किया जा सकता है |

.....जारी-/-


इसके अतिरिक्त सी एस आई आर के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में अधिकृत चिकित्सा सहायक की सुविधाओं को उनके आवास क्षेत्र को सी जी एच एस स्कीम के तहत कवर्ड एरिया में शामिल पाए जाने पर अथवा नियमानुसार किसी भी चिकित्सा पद्धति का उनके आवास के 5 कि मी की दूरी के भीतर उपलब्ध होने पर, बाद में वापस लिया जा सकता है।


(एस के यादव) 12/9/18
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सम्बंधित कर्मचारी
2. सम्बंधित डाक्टर (A M A)
- ✓ 3. आई टी डिवीजन को इसे सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित
4. कार्यालय प्रति